संख्या- 02/2025/ 231/84-2-2024/1873446

प्रेषक,

अभिषेक गोयल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबंधक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उ0 प्र0,लखनऊ ।

उपभोक्ता मामले अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक 25-04-2025

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 के विभागीय व्यय हेतु अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष 3456 में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 183/ एस० सी० डी० आर० सी०/ यू०पी०/ ब0आ0/ 2025-26 दिनांक 08 अप्रैल, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. उक्त पत्र में किये गये अनुरोध के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के अधिष्ठान/उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का अधिष्ठान पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लेखाशीर्ष "3456-सिविल पूर्ति-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का अधिष्ठान" के लिए विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित कुल धनराशि रु0 109,50,50,000 (रुपये एक सौ नौ करोड़ पचास लाख पचास हजार मात्र) को श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(धनराशि रूपये में)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	021	3456000010600 उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान	01 वेतन	60,20,00,000 (रुपये साठ करोड़ बीस लाख मात्र)
2	021	3456000010600 उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला	02 मजदूरी	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		फोरमों का अधिष्ठान		
3	021	3456000010600 उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान	03 मंहगाई भत्ता	36,12,00,000-00 (रुपये छत्तीस करोड़ बारह लाख मात्र)
4	021	3456000010600 उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान	04 यात्रा व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
5	021	3456000010600 उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
6	021	3456000010600 उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान	06 अन्य भत्ते	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
7	021	3456000010600 उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान	07 मानदेय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
8	021	3456000010600 उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान	08 कार्यालय व्यय	45,50,000 (रुपये पैतालिस लाख पचास हजार मात्र)
9	021	3456000010600 उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान	09 विद्युत देय	1,20,00,000 (रुपये एक करोड़ बीस लाख मात्र)
10	021	3456000010600 उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान	10 जलकर / जल प्रभार	38,00,000 (रुपये अड़तीस लाख मात्र)
11	021	3456000010600 उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
12	021	3456000010600 उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत	12 कार्यालय फर्नीचर एवं	54,50,000 (रुपये चौव्वन लाख

http://shasanadesh.up.gov.in

		स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान	उपकरण	पचास हजार मात्र)
13	021	3456000010600 उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान	13 टेलीफोन पर व्यय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
14	021	3456000010600 उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	6,00,000 (रुपये छः लाख मात्र)
15	021	3456000010600 उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
16	021	3456000010600 उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	47,00,000 (रुपये सैतालिस लाख मात्र)
17	021	3456000010600 उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान	18 प्रकाशन	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
18	021	3456000010600 उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान	22 आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
19	021	3456000010600 उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान	29 अनुरक्षण	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
20	021	3456000010600 उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान	42 अन्य व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
21	021	3456000010600 उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
22	021	3456000010600	45	4,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान	अवकाश यात्रा व्यय	(रुपये चार लाख मात्र)
23	021	3456000010600 उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
24	021	3456000010600 उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	28,00,000 (रुपये अट्ठाईस लाख मात्र)
25	021	3456000010600 उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान	49 चिकित्सा व्यय	45,00,000 (रुपये पैंतालीस लाख मात्र)
26	021	3456000010600 उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान	51 वर्दी व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
27	021	3456000010600 उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान	55 मकान किराया भत्ता	4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)
28	021	3456000010600 उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3,50,00,000 (रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			**109,50,50,000** **(रुपये एक सौ नौ करोड़ पचास लाख पचास हजार मात्र)**
महायोग		**109,50,50,000** **(रुपये एक सौ नौ करोड़ पचास लाख पचास हजार मात्र)**		

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध</u>

1. वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उक्त मदों पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में नई मदों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय। इस आवंटित धनराशि में मुख्यालय के व्यय हेतु आवश्यक धनराशि रोककर शेष अपने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अधीनस्थ समस्त कार्यालयों को आवश्यकतानुसार धनराशि आवंटित कर दें तथा आवंटन की प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जाय। जनपद स्तर पर आहरण एवं वितरण अधिकारी होने की दशा में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

2. उक्त धनराशि को व्यय करने के पूर्व जिन मामलों/ मदो में उ0 प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहो तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ़ फाइनेंशियल प्रोप्राईटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
4. उक्त स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत होने वाले व्यय को वहन करने हेतु कोषागार से धनराशि के आहरण की माह वार फेजिंग अनिवार्य रूप से विभाग के कार्य की प्रकृति के अनुसार कर लिया जाय। जहां तक संभव हो सके व्यय की फेजिंग समान रूप से प्रतिमाह पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए समान रूप से की जाय। व्यय की फेजिंग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग 2/3 को उपलब्ध करायी जाय। स्वीकृतियों/ आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जाएगा ताकि राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
5. व्यय की मानक मद 04-यात्रा व्यय के लिए आवंटित धनराशि के समक्ष होने वाले व्यय को इस प्रकार नियंत्रित (रेगुलेट) किया जाय कि नियत यात्रा भत्ता /वाहन भत्ता का नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित हो सके।
6. कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के क्रय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय किया जाय।
7. आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/ वितरित धनराशि के सापेक्ष किए गए व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या- बी-1-1195/दस-16/94 दिनाँक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशो का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर वित्तीय नियमों/ प्रक्रियाओ तथा अन्य सुसंगत नियमों के अंतर्गत ही किया जायेगा किसी भी दशा में धनराशि को आहरित कर बैंक/ डाकघर में जमा नहीं किया जाएगा।
9. जितनी भी वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जायें तथा जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाय उसमें स्पष्ट रूप से पूर्ण लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) के साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10. बी0एम0-08 तथा बी0एम0-13 पर प्रतिमाह की 10 तारीख तक नियमित रूप से वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा उपभोक्ता मामले अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को सूचना उपलब्ध करायी जाय। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना तथा उसके संबंध में कैलेण्डर के संकलित प्रारूप का उल्लेख मुख्य सचिव के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-बी-1-3318/दस-22/98 दिनॉक 28.07.98 में किया गया है।
11. उपर्युक्तानुसार आवंटित होने वाली धनराशि का आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार में बिल प्रस्तुत करके आहरण किया जाएगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
12. यह सुनिश्चित किया जाय कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक अपने स्तर पर वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें तथा यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो अथवा किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन अनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अंतर की संभावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा उपभोक्ता मामले अनुभाग-2 के संज्ञान में लाया जाय ।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय लेखाशीर्षः 3456000010600 (उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान) में नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं ।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(अभिषेक गोयल)
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- प्रधान महालेखाकार(सिविल ऑडिट), प्रथम/द्वितीय उ०प्र०, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ० प्र०, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ० प्र०, प्रयागराज।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त(लेखा) अनुभाग-1
8- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3, लेखा अनुभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अतल सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।